रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127 REGISTERED NO. D (D.N.)-127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 326] नई दिल्ली, सोमवार, जून 22, 1987/आषाढ़ 1, 1909
No. 326] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 22, 1987/ASADHA 1, 1909

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as separate compilation

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 जून, 1987

अधिसूचना

सा. का. नि. 592 (अ) :– राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते है, अर्थात् :–

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (संशोधन) नियम, 1987 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 की अनुसूची 5 में "III अध्यापनेतर विशेषज्ञ उपकाडर पद" शीर्ष के "(ख) विशेषज्ञ श्रेणी" उप-शीर्ष के अधीन क्रमसंख्या 1 के सामने विशेषज्ञ श्रेणी-I के पद से संबंधित स्तम्भ 3 के अंत में निम्नलिखित टिप्पण अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

टिप्पण : "वरिष्ठ वक्षीय शल्य चिकित्सक के पद के लिए हृदवाहिकाशल्य चिकित्सा का, विशेषकर ओपनहार्ट शल्यचिकित्सा का, अनुभव होना एक वांछनीय अर्हता होगी ।

[सं. ए. 12034/13/86-सी एच एस. 5]
एस. वी. सुब्रह्मण्यम्, संयुक्त सचिव

टिप्पण : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा नियम, 1982 में पहले निम्नलिखित द्वारा संशोधन किए गए :

सा.का.नि.सं.	696(अ)	तारीख	30-9-85
सा.का.नि.सं.	833(अ)	तारीख	4-9-86
सा.का.नि.सं.	955(अ)	तारीख	25-9-86
सा.का.नि.सं.	1038(अ)	तारीख	25-8-86
भा.का.नि.सं.	467(अ)	तारीख	11-5-87
सा.का.नि.सं.	468(अ)	तारीख	11-5-87

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE

New Delhi, the 22nd June, 1987

NOTIFICATION

G.S.R. 592(E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Central Health Service Rules, 1982, namely :—

1. (1) These Rules may be called the Central Health Service (Amendment) Rules, 1987.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Central Health Service Rules, 1962, in Schedule V under sub-heading "(b) Specialist Grade" of the heading "III-Non-Teaching Specialist Sub-cadre posts," against S. No. 1, relating to the post of Specialist Grade-I in column 3, the following Note shall be inserted in the end, namely :—

"NOTE:—For the post of Senior Thoraeic Surgeon experience of Cardio-Vascular Surgery particularly open-heart surgery will be a desirable qualification."

[No. A. 12034/13/86-CHS. VI]

S. V. SUBRAMANIYAM, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1987